भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3314
17 दिसंबर, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आवंटित की गई धनराशि

3314. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी:
श्री कुनार हेम्ब्रम:
श्रीमती गीता कोडा:
श्री शिशिर कुमार अधिकारी:
श्री एस. आर. पार्थिबन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश, विशेषकर बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और झारखंड में स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत अथवा उन्नत बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि आवंटित/जारी/उपयोग की गई है और क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं;
(ख) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों की ओर से उपयोग रिपोर्ट/प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;
(ग) क्या सरकार का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत बनाने के उद्देश्य से और अधिक धनराशि आवंटित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) सरकार द्वारा देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार करने और कोविड-19 के नए प्रकार 'ओमिक्रॉन' और अथवा महामारी के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी भी संकट से निपटने के लिए राज्यों की सहायता करने के संबंध में क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं।उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, भारत सरकार राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों को मजबूत करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और झारखंड सहित देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने या उन्नत करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के तहत आवंटित/निर्गम/उपयोग की गई निधियों का विवरण अनुलग्नक-I और II में दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यवार प्रमुख उपलब्धियां अनुलग्नक-III और IV में दी गई हैं।

मंत्रालय को एनएचएम के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 तक का लेखा परीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लेखा परीक्षित/अनंतिम उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है। सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) को मजबूत करने के लिए और अधिक निधियां आवंटित करना जारी रखा है। एनएचएम के तहत आवंटन बजट अनुमान 2020-21 में 27,989 करोड़ रुपये से बढ़कर 2021-22 के में 31,100 करोड़ रुपये हो गया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 राज्यों द्वारा उनके स्वास्थ्य बजट को कम से कम 8% तक बढ़ाने और या नीति प्राथमिक परिचर्या के बाद द्वितीयक और विशिष्ट परिचर्या हेतु संसाधन बड़े (दो तिहाई या अधिक) अनुपात को आवंटित करने का समर्थन करती है।

कोविड-19 द्वारा उत्पन्न खतरे को रोकने, पता लगाने और प्रतिक्रिया देने के उद्देश्य से 15,000 करोड़ रुपये की लागत से 'भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज-I' (ईसीआरपी-I) को अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने 23,123 करोड़ रुपये की लागत वाले "भारत कोविड -19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज-II" (ईआरसीपी-II) योजना को भी मंजूरी दी है। यह कुछ केंद्रीय क्षेत्र (सीएस) घटक वाली एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है। इस योजना का उद्देश्य आगे चलकर कोविड-19 से उत्पन्न खतरे को रोकना, पता लगाना और प्रतिक्रिया देना और भारत में तैयारियों को मजबूत करना है। विकसित हो रही महामारी की प्रतिक्रिया में जन स्वास्थ्य परिचर्या पद्धत्ति तैयार करने के लिए,राज्य/जिला स्तरों पर महत्वपूर्ण गितविधियों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संसाधन एनवेलप के केंद्रीय हिस्से का 50%, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अग्रिम रूप से जारी कर दिया गया है।

पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) को भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 64,180 करोड़ रुपये की राशि के साथ आरंभ किया गया था। इस योजना के तहत उपाय स्वास्थ्य प्रणालियों को प्रभावी रूप से महामारियों/आपदाओं के लिए तैयार करने के लिए सभी अर्थात विशिष्ट, प्राथमिक, द्वितीयक स्तरों पर परिचर्या की निरंतरता में स्वास्थ्य प्रणालियों तथा संस्थाओं की क्षमता विकसित करने पर ध्यान केंद्रीत करते हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार देश और विश्व स्तर पर कोविड-19 की स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। भारत सरकार, कोविड-19 महामारी के आरंभ होने से ही इसके प्रबंधन के लिए राज्यों के प्रयासों में सहायता कर रही है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोविड-19 और अन्य जन स्वास्थ्य आपात स्थिति में तैयारी और अनुक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित सहायता प्रदान की जाती है। कार्यकलाप के कुछ मुख्य क्षेत्र में निम्नवत शामिल हैं:

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कोविड-19 के विभिन्न पहलुओं के प्रबंधन हेतु निरंतर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अब तक 150 से अधिक दिशानिर्देश/ परामर्शिकाएं/ एसओपी/ योजनाएं प्रदान की गई हैं।

- कोविड-19 के नैदानिक प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देशों को उत्पन्न हुए वैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ अद्यतन किया जाना जारी है। वयस्कों के लिए उपचार प्रोटोकोल को पिछली बार दिनांक 24 मई,2021 को अद्यतन किया गया और व्यापक रूप से परिचालित किया गया था।
- बच्चों में कोविड-19 के प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देश 18 जून, 2021 को जारी किए गए थे। इन दिशा-निर्देशों में बच्चों और किशोरों में कोविड19 संबंधी अस्थायी रूप से पाया जाने वाला मल्टीसिस्टम

इनफ्लेमेटरी सिंड्रोम (एमआईएस-सी) और कोविड-19 की गंभीर उपस्थिति के प्रबंधन संबंधी मार्गदर्शन शामिल हैं।

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के पश्चात जटिलताओं और उनके प्रबंधन पर डॉक्टरों को मार्गदर्शन देने के लिए विशेषज्ञ परामर्श के पश्चात 21 अक्तूबर, 2021 को कोविड के पश्चात सिक्वेल के प्रबंधन हेतु व्यापक दिशानिर्देश जारी किए गए थे।
- अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए यात्रा परामर्श को समय-समय पर कोविड-19 की महामारी विज्ञान की स्थिति के आधार पर संशोधित किया गया है, जिसमें सार्स-कोव-2 के चिंताजनक के वेरिएंट (ओमिक्रोन सहित) का परिचालन शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ओमिक्रॉन वेरिएंट को चिंताजनक वेरिएंट घोषित करने के मद्देनजर, अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए दिशानिर्देश 28 नवंबर 2021 को अद्यतन किए गए थे। वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, 'जोखिम में' समझे जाने वाले देशों से आने वाले सभी यात्रियों (कोविड-19 टीकाकरण की स्थिति के बावजूद) को आगमन के बाद अनिवार्य रूप से कोविड-19 परीक्षण करवाना आवश्यक है। ऐसे यात्रियों को 7 दिनों के लिए एक अनिवार्य घरेलू आइसोलेशन में रहना होगा, जिसके बाद भारत आगमन के 8 वें दिन राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा निगरानी की जाएगी। इसके अलावा, वे देश जिन्हें "जोखिम वाला" देश नहीं माना गया है, उनके 2% यात्री भी भारत में आगमन के बाद कोविड-19 जांच के अध्यधीन होंगे।
- केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों को सलाह दी है कि (i) 'जोखिम वाले' देशों के यात्रियों का कठोर फॉलोअप और परीक्षण सुनिश्चित करना, (ii) जीनोम अनुक्रमण (सिक्वेंसिंग) के लिए सकारात्मक नमूने इंसाकोव प्रयोगशालाओं को त्वरित तरीके से भेजना, (iii) कोविड-19 की जांचों को बढ़ाना, (iv) स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे (आईसीयू, ओ2 बिस्तर, वेंटिलेटर आदि की उपलब्धता) की तैयारी सुनिश्चित करना, (v) कोविड-19 टीकाकरण दरों को बढ़ाना और (vi) कोविड उपयुक्त व्यवहार आदि का पालन सुनिश्चित करना।
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को जमीनी स्तर पर अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए, मामलों की बढ़ती हुई संख्या रिपोर्ट करने वाले राज्यों/ जिलों में महामारी वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, सूक्ष्मरोग वैज्ञानिकों और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों वाली कुल 172 बहु-विशेषज्ञ टीमें तैनात की गई हैं।

अनुलग्नक-I

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार केंद्रीय आवंटन, केंद्रीय निर्गमन और व्यय

करोड़ रुपए में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2019-20		2020-21		2021-22		
		केंद्रीय निर्गत	व्यय	केंद्रीय निर्गत	व्यय	केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय निर्गत	व्यय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	34.43	41.13	36.37	26.98	40.97	28.95	14.30
2	आंध्र प्रदेश	1054.08	1688.81	1037.21	2102.22	1175.66	747.40	1166.21
3	अरुणाचल प्रदेश	185.25	184.84	241.64	207.57	292.84	13.55	65.46
4	असम	1721.69	1829.70	1782.37	1751.58	1713.49	869.49	840.18
5	बिहार	1486.65	2824.09	1803.05	2394.46	2002.33	897.38	344.99
6	चंडीगढ़	19.38	16.60	18.01	9.86	21.88	11.71	12.49
7	छत्तीसगढ	792.83	1414.71	958.43	1474.41	964.29	416.83	603.26
8	दादरा और नगर हवेली	25.14	23.02	35.81	34.99	45.52	27.91	28.29
9	दमन और दीव	16.68	11.12					
10	दिल्ली	108.63	124.72	97.20	162.97	149.03	36.33	88.17
11	गोवा	35.12	57.72	33.83	66.33	39.19	4.41	42.73
12	गुजरात	1057.35	1748.39	961.08	1769.17	1101.56	536.06	648.52
13	हरियाणा	540.04	747.16	508.50	732.35	543.21	338.39	331.73
14	हिमाचल प्रदेश	504.23	468.92	440.83	425.09	506.12	208.10	197.44
15	जम्मू और कश्मीर	692.49	651.98	656.39	600.20	705.17	121.65	134.15
16	झारखंड	815.72	1068.98	596.02	984.74	920.13	207.61	72.32
17	कर्नाटक	1120.14	2259.32	1178.89	2192.98	1250.45	616.48	485.96
18	केरल	814.36	988.21	766.56	1312.36	762.40	511.72	384.47
19	लक्षद्वीप	6.16	6.55	7.11	6.99	9.53	5.97	3.69
20	मध्य प्रदेश	1684.59	3038.31	2311.39	3329.18	2152.50	1340.84	1664.63
21	महाराष्ट्र	1579.12	2966.07	1686.67	3097.21	1786.34	162.28	921.13
22	मणिपुर	181.61	193.76	188.93	111.35	204.96	17.87	62.43
23	मेघालय	135.80	160.56	199.42	206.26	207.30	44.07	66.24

24	मिजोरम	122.06	101.70	139.05	127.83	136.47	13.60	48.58
25	नगालैंड	119.41	127.19	184.26	146.02	170.86	26.67	70.66
26	उड़ीसा	1453.04	2154.62	1597.69	2295.64	1218.00	624.08	722.21
27	पुदुच्चेरी	29.18	40.45	23.68	41.17	34.01	3.28	17.95
28	पंजाब	691.23	883.10	544.60	848.48	464.09	131.52	186.42
29	राजस्थान	1750.34	2478.44	1964.29	2761.23	1987.08	296.60	1015.36
30	सिक्किम	52.84	54.25	69.03	51.03	69.92	9.58	22.32
31	तमिलनाडु	1349.28	2432.96	1437.32	2049.33	1445.44	317.18	1023.75
32	त्रिपुरा	233.56	203.46	223.18	244.18	230.42	127.26	83.43
33	उत्तर प्रदेश	4634.96	7250.36	3672.27	6152.72	4316.38	824.32	1574.56
34	उत्तराखंड	341.15	497.22	575.98	465.52	621.47	223.75	162.44
35	पश्चिम बंगाल	1677.47	2209.93	1812.63	2443.29	1558.68	586.96	800.46
36	तेलंगाना	924.03	859.18	624.55	1239.51	776.83	173.71	172.01
37	लद्दाख	0.00	0.00	91.62	38.56	111.85	24.39	8.19

नोट:

1. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आवंटन मूल परिव्यय/बी.ई के अनुसार है।

2. उपर्युक्त निर्गमन केंद्र सरकार अनुदान से संबंधित हैं और इसमें राज्य का अंशदान शामिल नहीं है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए निर्गत 24.11.2021 तक अद्यतन है।

3. व्यय में केंद्रीय निर्गत, राज्य निर्गत और वर्ष के आरंभ में अव्ययित शेष बकाया शामिल है।उक्त व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट (एफएमआर) के अनुसार है और यह 30.09.2021 तक अद्यतन है।

4. उपर्युक्त डाटा में नकद अनुदान और सामग्री सहायता शामिल हैं।

अनुलग्नक-II

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार केंद्रीय आवंटन, केंद्रीय निर्गमन और व्यय

करोड़ रुपये में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2019-20		2020-21		2021-22		
		केंद्रीय निर्गत	व्यय	केंद्रीय निर्गत	व्यय	केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय निर्गत	व्यय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.49	0.53	0.54	0.87	0.65	0.39	0.50
2	आंध्र प्रदेश	56.99	131.34	60.60	173.20	62.29	27.70	49.99
3	अरुणाचल प्रदेश	0.70	1.38	1.40	1.49	1.43	0.00	0.12
4	असम	27.55	26.64	25.11	26.73	19.15	5.74	13.01
5	बिहार	24.03	18.17	11.58	20.88	24.36	9.74	0.00
6	चंडीगढ़	3.39	4.37	4.20	4.69	4.42	0.00	1.89
7	छत्तीसगढ	23.24	49.75	20.98	46.89	21.56	8.62	59.76
8	दादरा और नगर हवेली	0.19	0.64	0.58	0.75	0.63	0.29	1.17
9	दमन और दीव	0.11	0.24					
10	दिल्ली	30.11	48.56	28.53	47.86	30.61	0.00	22.55
11	गोवा	0.35	0.75	0.98	1.10	1.38	0.00	0.54
12	गुजरात	53.45	116.34	44.58	125.29	45.84	25.13	45.86
13	हरियाणा	27.67	45.48	23.00	48.08	23.64	12.96	21.97
14	हिमाचल प्रदेश	0.61	0.68	1.11	0.48	1.35	0.14	0.35
15	जम्मू और कश्मीर	9.71	10.58	11.07	12.67	11.08	1.35	1.22
16	झारखंड	14.91	21.13	6.78	14.97	13.07	2.62	0.00
17	कर्नाटक	53.63	124.95	53.30	119.55	54.78	24.75	18.46
18	केरल	21.78	35.73	21.66	52.01	22.28	10.06	10.21
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	44.14	64.58	65.75	68.64	67.59	0.00	33.38
21	महाराष्ट्र	145.87	131.01	146.92	203.11	152.53	0.00	92.09
22	मणिपुर	4.04	2.30	0.56	1.44	2.23	0.00	0.10
23	मेघालय	5.37	5.68	3.21	7.10	3.73	0.75	5.42

24	मिजोरम	5.18	4.00	4.68	3.53	4.47	0.00	1.72
25	नगालैंड	3.82	3.19	3.95	4.15	4.60	0.92	2.39
26	उड़ीसा	22.10	66.20	19.94	51.60	20.50	8.20	21.75
27	पुदुचेरी	2.38	3.76	1.87	4.62	2.57	0.00	1.75
28	पंजाब	20.79	40.21	23.54	60.49	24.19	2.64	11.66
29	राजस्थान	31.49	81.07	36.29	65.23	37.30	0.00	34.86
30	सिक्किम	0.71	0.59	1.10	1.03	1.58	0.24	0.45
31	तमिलनाडु	74.94	124.66	85.39	123.00	87.76	39.65	16.82
32	त्रिपुरा	5.91	4.91	2.73	5.56	7.80	2.34	2.71
33	उत्तर प्रदेश	114.09	203.54	100.68	209.98	103.48	0.00	59.76
34	उत्तराखंड	7.68	6.80	7.27	14.84	7.53	1.17	8.79
35	पश्चिम बंगाल	71.85	130.91	82.38	155.33	84.67	16.47	62.69
36	तेलंगाना	40.31	90.78	47.33	115.42	48.65	0.00	13.78
37	लद्दाख	0.00	0.00	0.27	0.00	0.30	0.06	0.00

नोट:

1. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आवंटन मूल परिव्यय/बी.ई के अनुसार है।

2. उपर्युक्त निर्गमन केंद्र सरकार अनुदान से संबंधित हैं और इसमें राज्य का अंशदान शामिल नहीं है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए निर्गमन 24.11.2021 तक अद्यतन है।

3. व्यय में केंद्रीय निर्गत, राज्य निर्गत और वर्ष के आरंभ में अव्ययित शेष बकाया शामिल है।उक्त व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट (एफएमआर) के अनुसार है और यह 30.09.2021 तक अद्यतन है।

4. उपर्युक्त डाटा में एनयूएचएम के तहत अन्य एनयूएचएम और आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) शामिल हैं।

अनुलग्नक-III

एनएचएम की उपलब्धियां

अन्यों के साथ-साथ एनएचएम की प्रमुख उपलब्धियां में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) **ओओपीई (मंहगे व्यय) में कमी**: वर्ष 2017-18 के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा के अनुसार, ओओपीई पिछले वर्षों से कम हुआ है; वित्तीय वर्ष 2013-14 में यह 64.21% था और वित्तीय वर्ष 2017-18 में यह 48.8% था।

(2) **मातृ मृत्यु दर** (एमएमआर) वर्ष 1990 में 556/लाख जीवित जन्म थी जो वर्ष 2016-17 में घटकर 113/लाख जीवित जन्म रह गई। भारत में एमएमआर में गिरावट की दर 77% रही जो इसी अवधि में 44% की वैश्विक औसत गिरावट से कहीं अधिक थी।

(3) **नवजात मृत्यु दर (आईएमआर),** वर्ष 1990 में 80 थी जो वर्ष 2018 में घटकर 32 रह गई।

(4) **5 वर्ष से कम आयु के बच्चें की मृत्युदर (यू5एमआर),** वर्ष 2012 में 52 थी जो वर्ष 2018 में घटकर 36 रह गई।

(5) **कुल जन्मदर (टीएफआर)** वर्ष 2013 में 2.3 थी जो वर्ष 2018 में घटकर 2.2 पर आ गई।

(6) प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर क्षयरोग की व्याप्तता वर्ष 2012 में 234 थी जो वर्ष 2019 में घटकर 193 रह गई। प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर **टीबी के कारण मृत्युदर** भी घटी है जो वर्ष 2012 में 42 थी वर्ष 2019 में घटकर 33 पर आ गई।

(7) **कुष्ठ उन्मूलन** के लक्ष्य को हासिल करने वाले जिलों की संख्या वर्ष 2011-12 में 543 थी जो मार्च, 2017 तक बढ़कर 554 और मार्च, 2018 तक बढ़कर 571 हो गई। वर्ष 2020 में कुष्ठ रोग की व्याप्तता दर 610 जिलों में घटकर प्रति 10000 जनसंख्या पर 1 से भी कम रह गई है।

(8) **मलेरिया** के लिए वार्षिक परजीवी सूचकांक (एपीआई) 1 से नीचे के स्तर पर बना रहा और यह वर्ष 2014 से 0.89 से घटकर वर्ष 2018 में 0.32 तथा वर्ष 2019 में घटकर 0.25 रह गया है। मलेरिया के मामलों और मलेरिया के कारण मौतों में वर्ष 2018 में 2019 में गिरावट क्रमश: 21.27% और 20% रही।

(9) दिसंबर 2019 के अंत तक, कालाजार के स्थानिकमारी वाले 94% ब्लॉकों ने ब्लॉक स्तर पर प्रति 10,000 जनसंख्या <1 कालाजार मामले का उन्मूलन लक्ष्य हासिल किया है।

(10) **डेंगू संबंधी मामला मृत्युदर** को 1% से कम पर कायम रखने के राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा किया गया। वर्ष 2014 में डेंगू संबंधी मामला मृत्युदर 0.3% थी जो वर्ष 2019 में घटकर 0.1% रह गई।

(11) **दृष्टिहीनता** की व्याप्तता (विजुअल एक्विटी <3/60) वर्ष 2010 में 0.68% थी जो वर्ष 2019 में घटकर 0.36% रह गई।

(12) तंबाकू सेवन की व्याप्तता में 17.3% की सापेक्ष गिरावट रही जो वर्ष 2009-10 में 34.6% थी घटकर वर्ष 2017 में 28.6% रह गई।

(13) वर्ष 2014 से 2017 के बीच सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाकेन्द्रों से परिचर्या की अपेक्षा रखने वालों का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में 28.3 प्रतिशत से बढ़कर 32.5 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 21.2 प्रतिशत से बढ़कर 26.2 प्रतिशत हो गया और संस्थागत प्रसव के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रो का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में 56% से बढ़कर 69.2% और शहरी क्षेत्रों में 42% से बढ़कर 48.3% हो गया।

अनुलग्नक-IV

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत भौतिक उपलब्धि/प्रगति (जून,2021 तक) *									
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों	स्वास्थ्य मानव संसाधन संवर्धन	कार्यात्मक एफआरयू (पहली रेफरल इकाइयाँ)	मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू)	एम्बुलेंस (परिचालन)	मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशाएँ)	24X7 आधार पर काम करने वाले पीएचसी की संख्या	रोगी कल्याण समिति की स्थापना	ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समितियों का गठन किया
1	बिहार	15354	66	0	1244	92597	496	1918	8406
2	छत्तीसगढ	7252	37	30	625	71486	256	1013	19180
3	हिमाचल प्रदेश	1124	19	12	329	32388	81	777	7831
4	जम्मू और कश्मीर	7993	51	10	426	12595	190	741	6494
5	झारखंड	8008	50	92	2140	42670	114	582	30012
6	मध्य प्रदेश	15274	148	0	1462	81683	771	1673	49567
7	उड़ीसा	6618	74	9	1125	47348	131	1795	46064
8	राजस्थान	10803	83	299	1335	66959	990	3143	43440
9	उत्तर प्रदेश	32331	334	170	4720	164341	439	1760	72880
10	उत्तराखंड	3534	50	17	354	13111	87	324	15296
11	अरुणाचल प्रदेश	1893	13	16	239	4082	64	228	3772
12	असम	16995	72	130	1035	32546	314	1244	28149
13	मणिपुर	1525	7	9	43	4009	66	132	3878
14	मेघालय	1683	9	4	50	6827	65	172	6310
15	मिजोरम	1242	9	9	65	1170	41	86	830
16	नगालैंड	845	14	11	80	1992	33	170	1346
17	सिक्किम	360	3	0	9	656	24	30	641
18	त्रिपुरा	507	11	0	50	8044	84	155	1038
19	आंध्र प्रदेश	6204	239	67	628	42209	1144	1382	12940
20	गोवा	530	2	0	55	0	13	37	247
21	गुजरात	11802	130	74	636	48858	311	2217	17672
22	हरियाणा	8590	27	12	438	20120	246	655	6049
23	कर्नाटक	13661	172	70	909	46996	956	2938	26087
24	केरल	5228	87	31	315	30405	171	1314	19692
25	महाराष्ट्र	23272	173	50	3584	68656	1720	3553	39770
26	पंजाब	4981	185	33	242	21847	211	679	12982
27	तमिलनाडु	30804	577	420	1113	4309	1316	2577	15015
28	तेलंगाना	13564	156	0	727	32575	314	1074	10426
29	पश्चिम बंगाल	18279	143	49	3465	63609	234	1209	48472
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	330	1	0	1	422	20	33	275
31	चंडीगढ़	400	4	0	6	0	0	3	0
32	दादरा और नगर हवेली/ दमन और दीव	452	8	3	11	670	9	12	89
33	दिल्ली	1629	32	2	229	6045	1	33	0
34	लद्दाख	574	5	1	18	593	12	41	247
35	लक्षद्वीप	232	6	0	0	110	4	9	9
36	पुदुचेरी	416	4	4	11	220	23	48	100
	कुल	**274289**	**3001**	**1634**	**27719**	**1072148**	**10951**	**33757**	**555206**

*****